# फर्द अहकाम

## कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

**प्रार्थी : श्री भंवरसिंह** — **विपक्षी : राजस्थान राज्य**

**किस्म मुकदमा – 131 भू.राजस्व अधिनियम** — **पत्रावली संख्या : 30/21**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|

दिनांक : 13.08.2022

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प में पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि विक्रसिंह पिता उदयसिंह राजपूत से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रकी, जिसके पूर्व के आराजी नम्बर 36/2 थे, जिसके वक्त तरमीम नये आराजी नम्बर 841/36 बनाये गये। पैमुद करते वक्त उक्त आराजी नम्बर 841/36 प्रार्थी के नाम अवश्य दर्ज है परन्तु नक्शें में कब्जा विपक्षी सं. 2 व अन्य लोगों का है जबकि प्रार्थी का कब्जा शुरू से आराजी नम्बर 840/36 पर होकर प्रार्थी के मकानात बने होकर परिवार सहित निवास कर रहे हैं। आराजी नम्बर 840/36 व आराजी नम्बर 841/36 का रकबा 0.3237 हेक्टेयर होकर बराबर–बराबर है। इसलिए उक्त आराजीयात को राजस्व नक्शें में कब्जे के आधार पर तरमीम किये जाने का निवेदन किया हैं।

तहसीलदार मावली से बिन्दुवार रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट अनुसार भंवरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह के नाम रेकार्ड मे आराजी नम्बर 841/36 रकबा 0.3237 हेक्टेयर अंकन है जबकि भंवरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह का कब्जा आराजी नम्बर 840/36 रकबा 0.3237 हेक्टेयर पर होना बताया हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि प्रार्थी के मकानात एवं कब्जा राजस्व नक्शा ट्रेस में आराजी नम्बर 840/36 में दर्ज हैं जबकि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में भूमि आराजी नम्बर 841/36 दर्ज हैं। इसी प्रकार आराजी नम्बर 840/36 विपक्षी सं. 2 के नाम दर्ज है परन्तु कब्जा विपक्षी सं. 2 का आराजी नम्बर 841/36 पर है दोनो आराजीयात का रकबा 0.3237 हेक्टेयर है रकबे में किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं हैं। राजस्व नक्शें में प्रार्थी व विपक्षी सं. 2 की आपस में गलत तरमीम हो जाने से प्रार्थी व विपक्षी सं. 2 को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं। अतः प्रकरण में राजस्व रेकार्ड एवं कब्जे अनुसार सही तरमीम किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

### –: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा पालवासकलां पटवार हल्का वीरधोलिया की आराजी नम्बर 841/36 रकबा 0.3237 हेक्टेयर भूमि को प्रार्थी के कब्जेनुसार राजस्व नक्शें में आराजी नम्बर 840/36 के स्थान पर तरमीम किया जावे एवं आराजी नम्बर 840/36 रकबा 0.3237 हेक्टेयर भूमि विपक्षी सं. 2 के कब्जे अनुसार आराजी नम्बर 841/36 के स्थान पर राजस्व नक्शें में तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार मावली को पालना हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से [illegible]

निर्णय सुनाया गया।

([illegible]ल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.18 16:28:42 IST
Reason: SelfAttested